न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 25/2017

प्रार्थी :–
सरकार जरिये तहसीलदार
जैतारण जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीः–
1. बाबु शाह पुत्र नेनू शाह कौम सांई निवसी राबडियावास तहसील जैतारण के का0मु0
1.1 भवरूशाह
1.2 रमजान शाह
1.3 बरकत शाह
1.4 निशार शाह पुत्रगण बाबुशाह कोम सांई निवासी राबडियावास तहसील जैतारण
2. विष्णुनाथ पुत्र प्रेमनाथ जाति नाथ निवासी बलुपुरा तहसील जैतारण
3. श्री सीमेन्ट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट) जरिये महावीर चौपडा महाप्रबन्धक

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3
3. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक : 22-3-2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता नियत तारीख पेशी पर प्रकरण में पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हुए। अतः विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 व सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बलुपुरा के खसरा नम्बर 199/106 रकबा 5 बीघा किस्म बा0अ0 की भूमि वर्तमान जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। ग्राम बलुपुरा के खसरा नम्बर 106 की भूमि की किस्म गै0मु0 बाला दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटित भूमि की किस्म गै0मु0 बाला होने से यह भूमि प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है। परगना अधिकारी जैतारण के आदेश क्रमांक/865–66 दिनांक 07.04.1976 के अनुसार उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 बाला से परिवर्तित करते हुए बारानी प्रथम की गई तथा आदेश क्रमांक/88–91 दिनांक 30.04.1976 के जरिये उक्त भूमि खसरा नम्बर 106 में से 5 बीघा भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन किया गया है। वक्त आवंटन भूमि कि किस्म गै0मु0 बाला थी, जो आवंटन नही की जा सकती है। अतः उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा किस्म

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

परिवर्तन सम्बन्धी आदेश एवं आवंटन आदेश विधि विरूद्ध है। अतः उक्त आदेश को निरस्त कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेन्स फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि जेर अपील वादस्थ भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खरीदसुदा भूमि है, जिसके वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 3 बतौर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि किसी भी रूप में वाले की भूमि नहीं थी, पूर्ण भूमि काबिल काश्त थी, जिसमें अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से किस्म परिवर्तन नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा जिस आदेश को अपास्त कराने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उस आदेश की प्रति संलग्न नहीं की है एवं उक्त रेफरेन्स 30 वर्ष देरीना प्रस्तुत किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज करावें।

सरकारी पैरोकार एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 की बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम बलुपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 के खाता संख्या 160 के खसरा नम्बर 199/106 रकबा 5 बीघा किस्म बा0अ0 की भूमि बाबूशाह पुत्र नेनुशाह कौम साई सा0 राबडियावास गैर खातेदार दर्ज है। इसमें लगे नोट के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 433 दिनांक 25.11.2010 के अनुसार विरासत एवं हकतर्क से भंवरू शाह, रमजान शाह, बरकत शाह, निशार शाह पि0 बाबुशाह सा0 देह गैर खातेदार दर्ज किया। इसके पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 439 दिनांक 23.12.2010 के आधार पर इन खातेदारान को गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। इसके पश्चात उक्त भूमि खातेदारान् द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को बेचान करने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 43 दिनांक 27.01.2011 के जरिये अप्रार्थी संख्या 2 का नाम बतोर खातेदार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 3 को बेचान करने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 462 दिनांक 05.11.2011 के जरिये अप्रार्थी संख्या 3 का नाम राजस्व रेकर्ड में बतोर खातेदार दर्ज किया गया। उपखण्ड अधिकारी जैतारण के आदेश क्रमांक/865–66 दिनांक 07.04.1966 द्वारा उक्त भूमि कि किस्म गै0मु0 बाला से परिवर्तित करते हुए बारानी अव्वल दर्ज की गई, जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 53 के द्वारा उक्त भूमि बारानी अव्वल के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा जरिये आदेश क्रमांक/88–91 दिनांक 30.04.1976 के उक्त भूमि में से 5 बीघा भूमि बाबू शाह पुत्र नेनुशाह को आवंटन की गई, जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 23.06.1976 को स्वीकृत किया गया। हस्तगत प्रकरण में वक्त आवंटन से पूर्व उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 बाला दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है तथा प्रतिबन्धित श्रेणी में शुमार होने से खातेदारी अधिकार भी प्रदान नही किये जा सकते है। इसके साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित है। अतः उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा पारित आदेश क्रमांक/865–66

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

दिनांक 07.04.1966 एवं उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 53 दिनांक 23.06.1976 एवं उसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक/88–91 दिनांक 30.04.1976 एवं इसकी पालना में ग्राम बलुपुरा के नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 23.06.1976 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नही है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, जैतारण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा पारित आदेश क्रमांक/865–66 दिनांक 07.04.1966 एवं उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 53 दिनांक 23.06.1976 एवं उसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक/88–91 दिनांक 30.04.1976 एवं इसकी पालना में ग्राम बलुपुरा के नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 23.06.1976 को निरस्त करावे।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर,पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)